भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3754

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र 1947 (शक) को दिया जाना है।

तमिलनाडु से एकत्रित कर राजस्व

3754. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) तमिलनाडु से वर्ष 2019 से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुल कितना कर राजस्व एकत्र किया गया है;
(ख) देश में कुल जीएसटी संग्रहण में तमिलनाडु का योगदान कितना है और राज्य से जीएसटी राजस्व में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है;
(ग) जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात् तमिलनाडु को जीएसटी प्रतिकर की कितनी राशि का भुगतान किया गया है और क्या कोई बकाया राशि भुगतान के लिए लंबित है; और
(घ) सरकार द्वारा जीएसटी राजस्व में कमी और राजकोषीय संघवाद के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): तमिलनाडु राज्य से प्रत्यक्ष कर संग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)
प्रत्यक्ष कर	69,809.31	61,122.33	88,438.33	1,07,063.82	1,27,067.17	1,07,938.07

तथापि, अप्रत्यक्ष करों के मामले में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख)**:** वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (फरवरी, 2025 तक) तमिलनाडु का जीएसटी संग्रहण**:**

(करोड़ रु. में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25(Till Feb,2025)
Gross GST Collection in Tamil Nadu	74,430	69,121	85,492	1,04,377	1,21,329	1,19,320
Total Net GST Collection	11,73,648	11,09,511	14,92,232	18,38,167	19,92,985	19,82,281
% Growth in Collection	5.5%	-7.1%	23.7%	22.1%	16.2%	

(ग): केंद्र ने पांच साल अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक के लिए वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व की हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि जारी कर दी है। लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों का मिलान करके निकाले गए अंतिम क्षतिपूर्ति को एजी का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तत्काल जारी किया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तमिलनाडु को अंतिम/शेष क्षतिपूर्ति भी जारी कर दिया गया है। इसलिए, तमिलनाडु राज्य को जारी करने के लिए कोई राशि लंबित नहीं है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तमिलनाडु को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण और वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तमिलनाडु को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले वितरित ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

तमिलनाडु राज्य को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति और बैक-टू-बैक ऋण का विवरण (वर्ष-वार)

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए**	**वित्त वर्ष 2021-22 के लिए**	**वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून, 2022 के लिए)**	**कुल**
जीएसटी क्षतिपूर्ति	1018	5366.39	11423.19	16963.32	11698.29	4863.50	51332.69
बैक-टू-बैक ऋण	-	-	-	6241	8095	-	14336
कुल	**1018**	**5366.39**	**11423.19**	**23204.32**	**19793.29**	**4863.50**	**65668.69**

(घ): जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, राज्यवार राजस्व प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और जीएसटी राजस्व की वृद्धि के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाने तथा जीएसटी राजस्व पर आर्थिक और अन्य कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया गया है।

*****